

# कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांक:- 108 / 12-1 , दिनांक, पौड़ी, जुलाई, 14 2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण  
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय:- सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा प्रेषित Demand Note के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका कार्यालय पत्रांक 81/1जी-विविध (पौड़ी) दिनांक 08.07.2022

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड रिखणीखाल में देवियोखाल-डाबरीसैण-डाबरीपल्ली-मुगयाखाल तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.989 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का Demand Note प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 3603/12-1 दिनांक 06.05.2022 से प्रस्तावक विभाग (प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग लैन्सडौन) को प्रेषित किया गया तथा जिसकी प्रति अन्यो के साथ इस कार्यालय को भी पृष्ठांकित है का अवलोकन करने पर प्रेषित डिमांड नोट निर्धारित वर्ष 2022-23 की दरों के अनुसार सही पाया गया।

अतः उक्त डिमांड नोट की धनराशि को संस्तुति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(सुशांत कुमार पटनायक)

मुख्य वन संरक्षक/पदेन-वन संरक्षक  
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

पत्रांक:- दिनांकित

प्रतिलिपि 1-प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
2-अधिशाली अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुशांत कुमार पटनायक)

मुख्य वन संरक्षक/पदेन-वन संरक्षक  
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

Email:-dfo\_pauri\_uta@yahoo.co.in ,

Fax no:-01368-222215

पत्रांक:- / : दिनांक: पौड़ी, माह, मई, ०६ २०२२  
सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, लैन्सडॉन,  
(गढ़वाल)

विषय:- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड-रिखणीखाल में देवियोखाल-डाबरीसैण-डाबरीपल्ली-मुगयाखाल तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ०.९८९ हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र सं० ८बी/यू०सी०पी०/०६/१४५/२०२१/एफ.सी./१२८ दिनांक २७-०४-२०२२ तथा आपका पत्रांक १२०४/२१सी०, दिनांक २८-०४-२०२२

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है कि विषयगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र सं० ८बी/यू०सी०पी०/०६/१४५/२०२१/एफ.सी./१२८ दिनांक २७-०४-२०२२ द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र सं०-१४५९/३-५-२, दिनांक ०१.०७.२०२१ के क्रम में वित्तीय वर्ष २०२२-२३ की निर्धारित दरों पर रोड साईड वृक्षारोपण एवं उसके १० वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि एवं एन०पी०वी० की धनराशि का डिमाण्ड नोट आपको निम्न प्रकार से प्रेषित किया जा रहा है:-

|    |                                                                    |                |
|----|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| १- | रोड साईड वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रख-रखाव हेतु धनराशि का विवरण- |                |
|    | आरक्षित वन भूमि की लम्बाई                                          | - ०.००० कि०मी० |
|    | वन पंचायत भूमि की लम्बाई                                           | - ०.१७८ कि०मी० |
|    | सिविल सोयम वन भूमि लम्बाई                                          | - ०.९२१ कि०मी० |
|    | मोटर मार्ग की कुल लम्बाई                                           | - १.०९९ कि०मी० |

रोड साईड वृक्षारोपण की दर प्रति कि०मी०

- ₹ ६,११,७४१.००

रोड साईड वृक्षारोपण हेतु धनराशि

- ₹ १.०९९ कि.मी. X ६,११,७४१.०० =  
₹ ६,७२,३०४.००

(₹ छः लाख अठहत्तर हजार तीन सौ चार) मात्र

२- एन०पी०वी० की धनराशि का भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या-५-३/२०११-एफ०सी०, दिनांक ०६-०१-२०२२ में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है:-

|                             |   |                                          |
|-----------------------------|---|------------------------------------------|
| ईको क्लास                   | - | V <sup>th</sup>                          |
| हरियाली का घनत्व            | - | ०.४                                      |
| एन०पी०वी० की दर प्रति है०   | - | ₹ १२,९२,८५०.००                           |
| आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल | - | ०.८४ है०                                 |
| एन०पी०वी० की धनराशि         | - | ०.९८९ X १२,९२,८५०.००<br>= ₹ १२,७८,६२९.०० |

(₹ बारह लाख अठहत्तर हजार छः सौ उन्नीस) मात्र



भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

1 प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2 प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को सादर सूचनाार्थ प्रेषित। ✓

3 प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।

(मुक्ता कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

कार्यालय वन संरक्षक  
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी  
प्राप्ति क्र. 5897  
पत्र सं. 12-1  
दिनांक 06/05/22  
पत्र किसको D.M.

प्राप्त  
06/05/22

॥ ०५॥

$\frac{100}{100} = 1$